

an>

Title: Need to provide 20 percent reservation to poor students in private schools and educational institutions.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। देश के सबसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दों को लेकर मैं इस देश की सरकार के समक्ष और देश के 120 करोड़ लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश लगातार निजी संस्थाओं के द्वारा, जो निजी स्कूल एवं विद्यालय हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने एक प्रावधान दिया कि जो निजी स्कूल एवं संस्थान हैं, उनमें बीस प्रतिशत गरीब किसान के बच्चे, गरीब छात्र, मेधावी छात्रों का नामांकन लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद और भारत सरकार के आदेश के बावजूद भी आज तक बीस प्रतिशत गरीब छात्रों का नामांकन नहीं लिया जाता है। यदि जबरदस्ती जहाँ पर लिया भी जाता है, उनको केवल कागज में दिखा दिया जाता है, उनका नामांकन नहीं होता। उसकी कोई जांच नहीं होती। उससे भी गंभीर सवाल यह है कि निजी संस्थान और निजी स्कूलों की जो फीस है, वह इस कदर है कि इस देश के जो 92 प्रतिशत आम लोग हैं, जो गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं, वे कभी भी अच्छे स्कूल में, निजी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है, ये कहते हैं कि श्रेष्ठ भारत बनाना है, शिक्षित भारत बनाना है और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश में जितने भी तकनीकी संस्थान या निजी स्कूल हैं, उस स्कूल की फीस को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो अत्यधिक रूप से गरीबों से ली जाती है। इस कारण से गरीब और मेधावी छात्र इन स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं है। हमारा जो मानव संसाधन मंत्रालय है, ये कैसे इसकी रोकथाम करेगी? सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश को कैसे बीस प्रतिशत छात्रों को लागू करेगी, बीस प्रतिशत गरीब छात्र, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए कोई कठोर कानून ला करके सरकार, इन दोनों मुद्दों पर, शिक्षण संस्थान मेधावी छात्रों की फीस कम करे, गरीबों की फीस कम करे। इसके साथ-साथ बीस प्रतिशत बच्चों का नामांकन ले, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करूंगा, इस पर कोई नया कठोर कानून लाएं।

HON. CHAIRPERSON : The House stands adjourned to meet on Monday, the 1st December 2014 at 11 a.m.

18.12 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, December 1, 2014/Agrahayana 10,1936 (Saka).

* ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

* गृहदय् छड्डहहहड्डड्डड्डड्ड.

* एदत्तर्णं यद्वृद्धयुत्तद एव ण्डव च्छडडडडहण ददश्रुत्तुश्च डडडडत्तुडडडडडड त्द ईत्थं.

* गृहद्वयं द्विद्वन्द्वद्विद्वन्द्वम्.